

## “सूचना”

कार्यालय जिला पंचायत के पत्र संख्या 1864 दिनांक 09.01.2020 द्वारा आमंत्रित की गयी गड्डामुक्त कार्यों की ई-निविदाओं को कार्यालय के पत्र संख्या 1914 दिनांक 22.01.2020 को अपरिहार्य कारणों से खोला जाना स्थगित किया जाना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था एवं कार्यालय जिला पंचायत के पत्रांक 2125 दिनांक 02.03.2020/संशोधित पत्र संख्या 2127 दिनांक 03.03.2020/पत्र संख्या 2184 दिनांक 17.03.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासन से विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि की ई-निविदायें दिनांक 24.03.2020 को अपरान्ह 02:00 बजे तक आमंत्रित की गयी थी, जिन्हे दिनांक 25.03.2020 को समय 11:00 बजे खोला जाना एवं साधारण निविदायें दिनांक 25.03.2020 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, साधारण निविदाओं के निविदा प्रपत्रों की बिक्री दिनांक 21.03.2020 को समय 11:00 बजे से 4:00 बजे तक की जायेगी। दिनांक 25.03.2020 को अपरान्ह 3:00 बजे से उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष निर्धारित समिति द्वारा कार्यालय जिला पंचायत में खोला जाना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। उक्त के क्रम में दिनांक 21.03.2020 को साधारण निविदा फार्म की बिक्री की जा चुकी है।

कार्यालय के पत्र संख्या 2217 दिनांक 24.03.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग 5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पॉच-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-3सन्1897) की धारा-2 के अधीन उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियामवली 2020 के प्रस्तर संख्या-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस/COVID 19 को महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस/COVID 19 के फैलाव से बचाव एवं नियन्त्रण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयासों के दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के क्रम में उक्त निविदाओं की अग्रिम कार्यवाही स्थगित की जाती है। अग्रिम तिथि के विषय में पृथक रूप से सूचित किया जाना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

जिला पंचायत बुलन्दशहर/अन्य जिला पंचायतों/राजकीय विभागों के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय के पत्र संख्या 2217 दिनांक 24.03.2020 द्वारा स्थगित की गयी ई-निविदाओं संबंधी अग्रिम कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु दिनांक 16.05.2020 को सांय 5.00 बजे तक का समय प्रदान करते हुए आमंत्रित की गयी उक्त समस्त ई-निविदाओं को दिनांक 18.05.2020 को समय 12.00 बजे से उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष निर्धारित समिति द्वारा कार्यालय जिला पंचायत में खोला जायेगा एवं आमंत्रित की गयी साधारण निविदाओं की स्थगित अग्रिम कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु विज्ञापित प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 21.05.2020 को सांय 05.00 बजे तक का समय प्रदान किया जाता है। आमंत्रित की गयी साधारण निविदाओं को दिनांक 23.05.2020 को समय 11:00 बजे से उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष निर्धारित समिति द्वारा कार्यालय जिला पंचायत में खोला जायेगा। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ई0सुनील कुमार)  
अभियन्ता,  
जिला पंचायत बुलन्दशहर।

(विद्या शंकर पाण्डेय)  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत बुलन्दशहर।

(चौ0 ओमवीर सिंह)  
अध्यक्ष  
जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

## कार्यालय जिला पंचायत बुलन्दशहर।

पत्रांक 41 /अनुभाग-2 ()/05732-282160/2020-21

दिनांक : 15 मई, 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को अवलोकनार्थ प्रेषित है।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बुलन्दशहर को सूचनार्थ।
4. वित्तीय परामर्शदता जिला पंचायत, बुलन्दशहर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।
5. अभियन्ता, जिला पंचायत, बुलन्दशहर को जिला पंचायत में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, शासकीय बेवसाइट जिला कलेक्ट्रेट को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेशानुसार बेवसाइट <http://bulandshahr.nic.in> पर निविदा सम्बंधित समस्त सूचना अपलोड कराने का अनुरोध है।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला पंचायत, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिला पंचायत के वेबसाइट [www.buzp.uppr.gov.in](http://www.buzp.uppr.gov.in) पर अपलोड करें।
8. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं देव केसरी को इस आशय से प्रेषित की शासकीय दर पर कम से कम स्थान पर उक्त सूचना प्रकाशित कर इस कार्यालय को तीन प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. जिला पंचायत, बुलन्दशहर के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अन्य जिला पंचायतों/राजकीय विभागों के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ (चस्पा नोटिस बोर्ड)।

(विद्या शंकर पाण्डेय)  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत बुलन्दशहर।